(2020) 5 एस0सी0आर0 70

मध्य प्रदेश राज्य
बनाम
योगेंद्र सिंह जादोन और एएनआर।

(आपराधिक अपील सं0 175/2020) 31 जनवरी, 2020

(एल0 नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जेजे।)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस0 482 – चार्ज–शीट यू/एस0 420 आर/डब्ल्यू0 120–बी आईपीसी–उत्तरदाताओं के पिता के खिलाफ–अन्य बातों के साथ आरोप लगाते हुए कि आरोपी ने उचित दस्तावेजों के बिना उत्तरदाताओं (उनके बेटों) को नकद भुगतान दिया था, जब वह बैंक के अध्यक्ष थे–उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, उत्तरदाताओं को पकड़ना उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया गया–सर्वोच्च न्यायालय में अपील–आयोजितः मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते हैं। उत्तरदाताओं के खिलाफ 420 और 120–बी आईपीसी–उच्च न्यायालय उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोपों को समाप्त करना सही नहीं था।

धारा 482–क्षेत्राधिकारिता–482 का प्रयोग वहां नहीं किया जा सकता है जहां आरोपों को कानून की अदालत में साबित करने की आवश्यकता है।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय द्वारा कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने पूरे मुद्दे की जांच की, कि क्या धारा 420 और 120–बी आईपीसी के तहत अपराध पूर्व–परीक्षण चरण में किया गया है या नहीं। उत्तरदाता नकद ऋण सीमा के अनुदान के लाभार्थी हैं जब उनके पिता बैंक के अध्यक्ष थे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जहां आरोपों को कानून की अदालत में साबित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ऋण बिना किसी उचित दस्तावेजों के प्राप्त किया गया था और यह तथ्य कि उत्तरदाता अपने पिता के परोपकार के लाभार्थी हैं, प्रथम दृष्टया धारा 420 और 120–बी आईपीसी के तहत अपराध का खुलासा करते हैं। बैंक के अन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत अपराध के लिए आरोपित किया गया है। धारा 420 आईपीसी के तहत आरोप एक अलग अपराध नहीं है, लेकिन इसे अधिनियम के तहत अन्य अपराधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

उत्तरदाता धारा 120बी भा0दं0सं0 के तहत उत्तरदायी हो सकते हैं। अतः उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोपों को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश विधि की दृष्टि से सही नहीं है। (पैरा 5 और 6) (73–सी–एफ) क्रिमिनल अपीलीय न्यायाधिकरणः आपराधिक अपील नं (2020 का 175)।

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2016 से, इंदौर में खंडपीठ ने आपराधिक संशोधन सं0 2014 का 260

ध्रुव तमता, सुश्री तन्वी भटनागर, हर्ष पराशर, सलाहकार। अपीलार्थी के लिए।

अरविंद वर्मा, सीनियर सलाहकार। सुश्री सलोनी तंगरी, सुश्री जसलीन चहल, फारुख रशीद, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जे0 द्वारा दिया गया निर्णय–

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के पुत्र के विरूद्ध पारित आदेश दिनांकित 2 मई 2016 से राज्य असहमत था उक्त आदेश से न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के दोनों पुत्रों के विरूद्ध धारा 420, 120बी भा0दं0सं के तहत संचालित कार्यवाही को अपास्त कर दिया था।

2. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 420,406,409,120बी आईपीसी और 13(1)(डी) और 13(2) के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र 9 जुलाई, 2008 को संस्थित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर नं0 23 जून, 2007 को 2007 का 3, आरोप था कि मनोहर सिंह जादोन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, शाजापुर के अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर उत्तरदाताओं के मृत पिता अपने पद का दुरुपयोग करके जाली दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय अनियमितताएं कीं और रिश्तेदारों को फर्जी ऋण प्रदान करके, मनोहर सिंह जादोन 5 'फरवरी, 1997 से 26' मार्च, 2002 तक और 27 'मार्च, 2002 से 7 मई, 2004 तक बैंक के अध्यक्ष थे। हर्षवर्धन सिंह जादोन (आरोपी–प्रतिवादी सं0 2), (आरोपी–प्रतिवादी सं0 1) मैसर्स सरोहर ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है। घनश्याम शर्मा, महाप्रबंधक, रमनलाल आचार्य, प्रबंधक, राम सिंह यादव, महाप्रबंधक को भी आरोपी बनाया गया। यह आरोप लगाया गया कि आरोपी हर्षवर्धन सिंह जादोन ने 2 पर एक आवेदन प्रस्तुत किया, नवंबर, 2000 में रु0 25 लाख की नकद ऋण सीमा के अनुदान के लिए और यह कि नकद ऋण सीमा को नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना मंजूरी दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि बंधक विलेख पंजीकृत नहीं था और न ही बंधक कागज पर मूल ऋणदाता के हस्ताक्षर पाए गए थे। यह भी बताया गया है कि 1 दिसंबर, 2001 को रु0 9,88,327/– की राशि रु0 25 लाख जमा करने के बाद भी शेष थी और राष्ट्रपति ने अपने स्तर पर नकद ऋण सीमा का नवीनीकरण किया है और इसकी पुष्टि बाद में ऋण उप–समिति से की गई, जबकि मामला अकेले राष्ट्रपति के बेटे का था। योगेंद्र सिंह के संबंध में, फिर से आरोप है कि रु0 25 लाख की नकद ऋण सीमा को मंजूरी दी गई थी, उनके आवेदन के आधार पर 30 जुलाई, 2001 को किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना और किसी भी संपत्ति के बंधक के बिना श्रीमती सरोज सिंह ने जमीन गिरवी रख दी, लेकिन बिना किसी मूल्यांकन के ईश्वर सिंह की ज़मानत ले ली गई। उसी व्यक्ति ने हर्षवर्धन के मामले में जमीन गिरवी रखी। बंधक के पंजीकरण के संबंध में भी ऐसा ही दावा है। यह भी आक्षेप लगाया गया है कि 25,65,894 रू0 की धनराशि दिनांक 31 मार्च 2002 को शेष थी जो स्वीकृत हुयी सीमा से अधिक थी।

3. विशेष न्यायाधीश ने 24 फरवरी, 2014 को अन्य आरोपियों के अलावा हर्षवर्धन सिंह जादोन और योगेंद्र सिंह जादोन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पारित किया। इस तरह के आदेश को उत्तरदाताओं ने एक आपराधिक पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी थी।

4. संशोधन याचिका में उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 420 और 120–बी आईपीसी के तहत अपराध उत्तरदाताओं के खिलाफ नहीं बनता। न्यायालय ने कहा कि इस बात का कोई दावा नहीं है कि नकद ऋण सुविधा इस ज्ञान के

साथ प्राप्त की गई है कि वे ऋण राशि का भुगतान नहीं करेंगे। न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया–

"12. यह हो सकता है कि बैंक के अधिकारी, आवेदकों को लाभ प्रदान करने के लिए नियमों और विनियमों की अवहेलना की गई, लेकिन यह बैंक के अधिकारियों के खिलाफ दायित्व को जन्म देगा जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे और मध्य प्रदेश के राज्य बनाम योगेंद्र सिंह जादोन (हेमंत गुप्ता, जे.)

नियम– हालांकि, यह उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का आधार नहीं हो सकता है जिसे नकद ऋण की सुविधा दी गई है। 14. प्रस्तुत मामले में अखण्डित आक्षेप के बावजूद प्रथमदृष्टया यह स्थापित नहीं होता है कि अपीलार्थी ने बैंक प्राधिकारी को दुर्भवना पूर्वक नीति से प्रभावित करते हुए धोखा दिया और ऋण प्राप्त किया। इस प्रकार, आईपीसी के 420 के अपराध का गठन करने के लिए मूल घटक, चार्जशीट में पूरी तरह से गायब है।

5. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने पूरे मुद्दे की जांच की है कि क्या धारा 420 और 120–बी के तहत अपराध पूर्व परीक्षण चरण में किया गया है या नहीं। उत्तरदाता नकद ऋण सीमा के अनुदान के लाभार्थी हैं जब उनके पिता बैंक के अध्यक्ष थे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जहां आरोपों को कानून की अदालत में साबित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ऋण बिना किसी उचित दस्तावेज के प्राप्त किया गया था और उत्तरदाता लाभार्थी था। प्रथम दृष्टया धारा 420 और 120–बी आईपीसी के तहत अपराध का गठन करते हैं। यह कहा जा सकता है कि बैंक के अन्य अधिकारियों को अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत अपराध के लिए आरोपित किया गया है। धारा 420 आईपीसी के तहत आरोप एक अलग अपराध नहीं है, लेकिन इसे अधिनियम के तहत अपराधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसके लिए उत्तरदाता आईपीसी की धारा 120–बी की सहायता से उत्तरदायी हो सकते हैं।

6. नतीजतन, हम पाते हैं कि उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोपों को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है। अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यार्थीगण के लिए इस तरह की अन्य कार्रवाई के लिए प्रत्यार्थीगण स्वतंत्र है, जो कानून की दृष्टि में उचित है।

अपील स्वीकृत। कल्पना के0 त्रिपाठी